आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 39/2020-राज्य कर

शिमला-2, 14 जुलाई, 2020

संख्याःई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4/2020.——हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में-

(i) प्रथम पैरा में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"परंतु व्यक्तियों के ऐसे वर्ग में वे निगमित ऋणी नहीं आयेंगे जिन्होंने आईआरपी/आरपी की नियुक्ति के पहले तक की सभी कर अवधियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 37 के अधीन विवरण और धारा 39 के अधीन विवरणी भर दिया है ।";

- (ii) पैरा 2 के स्थान पर, तारीख 21 मार्च, 2020 से प्रभावी अवधियों के लिए, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात:—
- "2. रिजस्ट्रीकरण.—ऐसे व्यक्तियों के उक्त वर्ग को, आईआरपी/आरपी तारीख की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी निगमित ऋणी के सुभिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां वह निगमित ऋणी पूर्व में रिजस्टर्ड था, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति के तीस दिन के भीतर या 30 जून, 2020 तक, जो भी पश्चात् का हो, नया रिजस्ट्रीकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् नया रिजस्ट्रीकरण कहा गया है) कराने के लिए उत्तरदायी होगा।"।

		आदश	द्वारा,
	जग	रीश चन्द्र	शर्मा,
प्रधान सचिव	। (आबकारी	एवं करा	धान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated 14/07/2020 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 39/2020-State Tax

Shimla-2, the 14th July, 2020

No.EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No.11/2020- State Tax, dated the 23rd June, 2020 published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXN-F(10)-4/2020 dated 24th June, 2020 namely:-

In the said notification:-

(i) in the first paragraph, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the said class of persons shall not include those corporate debtors who have furnished the statements under section 37 and the returns under section 39 of the said Act for all the tax periods prior to the appointment of IRP/RP.";

- (ii) for the paragraph 2, with effect from the 21 March, 2020, the following paragraph shall be substituted, namely: -
- **"2. Registration**.—The said class of persons shall, with effect from the date of appointment of IRP / RP, be treated as a distinct person of the corporate debtor, and shall be liable to take a new registration (hereinafter referred to as the new registration) in each of the States or Union territories where the corporate debtor was registered earlier, within thirty days of the appointment of the IRP/RP or by 30th June, 2020, whichever is later:"

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA, Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना सं० 40 / 2020—राज्य कर

शिमला-2, 14 जुलाई, 2020

संख्याः ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4/2020.——हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसचूना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयागे करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद् की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसचूना सं0 35/2020—राज्य कर तारीख 23 जून, 2020 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4/2020 के तहत तारीख 24 जून, 2020 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः—

उक्त अधिसूचना के पहले, प्रथम पैरा में, खंड (ii) में, निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के अधीन, मार्च, 2020 के 24वें दिन तक या उसके पूर्व, ई—वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता की अवधि, मार्च, 2020 के 20वें दिन से अप्रैल, 2020 के 15वें दिन के दौरान समाप्त हो गई है, ऐसे ई—वे बिल की वैधता अवधि को मई, 2020 के 31वें दिन तक बढ़ा दिया गया माना जाएगा।"।

आदेश द्वारा, जगदीश चन्द्र शर्मा, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

टिप्पण:—मूल अधिसूचना सं0 35 / 2019—राज्य कर तारीख 23 जून, 2020 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में सख्याः ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4 / 2020 के तहत तारीख 24 जून, 2020 को प्रकाशित किया गया था।